रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255663
CG-DL-E-23072024-255663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/श्रावण 1, 1946
No. 403] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/SHRAVANA 1, 1946

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

**सं. 39/2024-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 442(अ).—**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 780 (अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्द्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(I) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| “4 क. | सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला लुब्रिकेटिंग तेल अब भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के या भारतीय वायुसेना के किसी वायुयान में आयात किया गया हो | भारत से प्रस्थान के समय ऐसे वायुयान के इंधनो में शुल्क संदत्त लुब्रिकेटिंग तेल पर यथा स्थिति, सीमाशुल्क के ड्रॉबैक या एकीकृत कर का रिफंड अनुज्ञात नहीं किया गया था;<br>**स्पष्टीकरण: -** "लुब्रिकेटिंग तेल" से ऐसा किसी भी प्रकार का तेल अभिप्रेत है जिसका साधारण तौर पर लुब्रिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिनमे किसी भी प्रकार का ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल सम्मिलित है जिनका प्रकाश बिंदु 93.3° सेंटीग्रेड है। |
| 4 ख. | भारतीय विमान सेवा या भारतीय वायु सेना के वायुयान के टैंको में ईंधन एविएशन टरबाइन ईंधन के अलावा | (i) उक्त ईंधन की मात्रा ईंधन की उतनी मात्रा के समान है जितनी की यथास्थिति, उसी भारतीय विमान सेवा के या भारतीय वायु सेना, के वायुयानों के टैंको में भारत से बाहर ले जाया गया था और जिस पर सीमा शुल्क या एकीकृत कर का भुगतान किया गया है,<br><br>(ii) यथास्थिति, ऐसे ईंधन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क की दर (जिसमे उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क भी सम्मिलित है) या एकीकृत कर की दर, ऐसे वायुयानों के आगमन और प्रस्थान के समय समान है, और<br>(iii) ऐसे वायुयानों के भारत से प्रस्थानो के समय ऐसे ईंधन पर, यथास्थिति, सीमा शुल्क की वापसी या एकीकृत कर का रिफंड अनुज्ञात नहीं किया गया था।“; |

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और अंक "और 4" के स्थान पर सिंबल, अंक, अक्षर और शब्द ",4, 4क और 4ख" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) पहले परंतुक में, खंड (ख) में शब्दों “उनके निर्यात के पश्चात तीन वर्ष” के स्थान पर, शब्द “उनके निर्यात के पश्चात पांच वर्ष” प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2024-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना सं. 45/2017, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 780(अ) 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 46/2023-सीमाशुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 557(अ), तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2024

**No. 39/2024-Customs**

**G.S.R. 442(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2017-Customs dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 780(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, -

(I) in the Table, -

(a) after S. No. 4 and entries relating thereto, the following S. Nos. and the entries relating thereto shall in inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "4A. | Lubricating oil falling within Chapter 27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, imported in the engines of any aircraft registered in India or of any aircraft of the Indian Air Force | No drawback of duty of customs or refund of integrated tax, as the case may be, was allowed on the duty paid lubricating oil in the engines of such aircraft at the time of its departure from India.<br>***Explanation*****:** "lubricating oil" means any oil as is ordinarily used for lubrication, excluding any hydrocarbon oil which has its flash point below 93.3° centigrade; |
| 4B. | Fuel other than Aviation Turbine Fuel in the tanks of the aircrafts of an Indian Airline or of the Indian Air Force | (i) The quantity of the said fuel is equal to the quantity of the same type of fuel which was taken out of India in the tanks of the aircrafts of the same Indian Airline or of the Indian Air Force, as the case may be, and on which the duty of Customs, or integrated tax had been paid;<br>(ii) the rate of duty of customs (including the additional duty leviable under the said section 3) or the rate of integrated tax, as the case may be, leviable on such fuel is the same at the time of the arrivals and departures of such aircrafts; and<br>(iii) no drawback of duty of customs or refund of integrated tax, as the case may be, was allowed on such fuel at the time of departures of such aircrafts from India."; |

b) against S. No. 5, in column (2), for the word and figure "and 4", the symbols, figures letters and word ",4,4A and 4B" shall be substituted;

(II) in the first proviso, in clause (b) for the words "re-imported within three years", the words "re-imported within *five* years" shall be substituted.

2. This notification shall come into effect on the 24th day of July, 2024.

[F. No. 334/03/2024-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 45/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 780(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 46/2023-Customs, dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 557 (E), dated the 26th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA